भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार मध्य प्रदेश परिमंडल भोपाल–15

क्रमांक– एस आर/ यूनियन/सर्किल काउंसिल मीटिंग/10–11/86 दिनांक 10/08/2011

मुख्य महाप्रबंधक महोदय की अध्यक्षता में परिमंडल परिषद की बैठक दिनांक 25/07/2011 को परिमंडल कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रबंधन एवं स्टाफ पक्ष की ओर से निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे :–

प्रबंधन की ओरसे :

1. श्री एन.के.यादव, अध्यक्ष एवं मुख्य महाप्रबंधक
2. श्री ए.के.दास, वरि..महाप्रबंधक (मुख्यालय)
3. श्री प्रभाश सिंह, महाप्रबंधक (एच.आर. /प्रशासन)
4. श्री जिया उल हसन, महाप्रबंधक (नेट.ऑप.)सीएफए
5. इम्तियाज अहमद, महाप्रबंधक (सीएफए)
6. श्रीमती रीटा गोयल, महाप्रबंधक (वित्त)
7. श्री अरविन्द सिन्हा, वरि. महाप्रबंधक (सी.एम.)
8. श्री ए.सी.मिश्रा, वरि..महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, जबलपुर
9. श्री जी.सी.पाण्डे, वरि..महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, भोपाल
10. श्री आर एन. पटेल, वरि..महाप्रबंधक (नेट.ऑप.) सी.एम. इन्दौर,
11. श्री प्रशांत त्रिवेदी, महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, ग्वालियर
12. श्री पी.के.गर्ग, सी.ई(सिविल)
13. श्री पवन गुप्ता, अपर म.प्र.(एच.आर.)
14. श्रीमती रचना सिंह, उप.म.प्र.(प्रशासन)
15. श्री एन.एम.टेंगशे, सहा.म.प्र.(प्रशासन)

स्टाफ पक्ष की ओरसे

1. श्री प्रकाश शर्मा, वदूकास इन्दौर, लीडर सर्किल काउन्सिल
2. श्री एस आर नायक, सचिव परिमण्डल काउन्सिल
3. श्री हीरालाल यादव, टे.मेकेनिक मन्दौर, सदस्य
4. श्री अलोक रायकवार, टी.टी.ए. होशंगाबाद, सदस्य
5. श्री कैलाश चौधरी, टे.मेकैनिक धार, सदस्य
6. श्री सलामत अली, व.दू.का.स. भोपाल, सदस्य
7. श्री बालेन्द्र परसाई, सीनि.एसएस भोपाल, सदस्य
8. श्री आर. के. रावल, व.दू.का.स. मंदसौर, सदस्य
9. श्री बी.एस. दावण्डे, व.दू.का.स. छिंदवाड़ा, सदस्य
10. श्री जे.पी.पाठक, व.दू.का.स. पन्ना, सदस्य
11. श्री महेन्द्र सिंह, टे.मेकेनिक रायसेन, सदस्य
12. श्री सुशील मुदलियार. व.दू.का.स. जबलपुर, सदस्य

उप महाप्रबंधक(प्रशासन) , श्रीमती रचना सिंह द्वारा दिए गए स्वागत उद्‌बोधन से बैठक प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम वरिष्ठ महाप्रबंधक (एच आर/प्रशासन) श्री प्रभाश सिंह ने मु.म.प्र. एवं अध्यक्ष परिमण्डल काउंसिल श्री एन.के.यादव का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया । तत्पश्चात् सहा. म.प्र. (संगठन एवं प्रबंधन) श्री एन. एम. टेंगशे ने लीडर परिमण्डल काउंसिल श्री प्रकाश शर्मा एवं सचिव परिमण्डल काउंसिल श्री एस.आर.नायक का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया, एवं उप मंडल अभियंता (जनरल) , श्री अनिल श्रीवास्तव ने प्रबंधन एवं स्टाफ पक्ष के सभी सदस्यों का पुष्प से स्वागत किया ।

इसके पशचात् लीडर परिमण्डल काउंसिल ने बैठक को संबोधित करते हुए बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति के पुनरूत्थान पर विचार व्यक्त किए एवं इसे सुदृढ़ करने हेतु सभी पक्षों द्वारा मिलजुलकर प्रयास करने पर बल देते हुए सचिव परिमण्डल काउंसिल श्री एस. आर. नायक दी गई – बीएसएनएल मेरी कंपनी है, इस धारणा को बीएसएनएल के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा हृदय से स्वीकृत करने एवं इसी अवधारणा के माध्यम से बीएसएनएल को सशक्त, सुदृढ़ एवं प्रगतिशील बनाने का विचार सदन के सम्मुख रखा, साथ ही प्रबंधन को स्टाफ पक्ष की ओर से पूरा–पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात् सचिव

क्रमशः(2)

परिमण्डल काउंसिल ने लीडर परिमण्डल काउंसिल के वक्तव्य का समर्थन करते हुए इसी बात पर बल दिया कि जब कर्मचारी संस्थान को अपना मानते हुए कार्य करेगा तो स्वतः ही इसके लाभ और हनि से अपने को जुड़ा हुआ मानेगा और इस तरह पूर्ण समर्पण से कार्य करेगा। साथ ही उन्होंने मुख्य महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष परिमण्डल काउंसिल को उनके नेतृत्व में पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दियाा।

इस के पश्चात् अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में मुख्य महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष परिमण्डल काउंसिल ने स्टाफ पक्ष ओर से प्रस्तावित – बीएसएनएल मेरी कंपनी है, इस धारणा का हृदय से स्वागत करते हुए कहा की यह एक सकारात्मक परिवर्तन है। उन्होनें म.प्र.परिमण्डल के लिए निश्चित किए गए 25% राजस्व वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में उपलब्ध साधनों के माध्यम से ही सकारात्मक मार्केटिंग के द्वारा हर स्तर पर दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य करने एवं बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति के पुनरूत्थान की आवश्यकता पर जोर देकर सभी से सहयोग करने का आह्वान किया।

इसके पश्चात् बैठक की विषय सूची पर चर्चा हुई और प्रत्येक मुद्दे पर निर्णय लिए गए । अंत में सहा. महाप्रबंधक (संगठन एवं प्रबंधन) ने बैठक की सफल एवं सौहार्द्रपूर्ण संपन्नता के लिए सभी का आभार प्रदर्शित किया।

बैठक में लिए गए निर्णय एवं कार्यवृत्त संलग्न अनुलग्नक में दर्शाए गए हैं। सभी संबंधितों से निवेदन है , कि लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही कर सात दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें।

सलंग्न उपर्युक्त।

10/8/11

सहायक महाप्रबंधक (ओ एन्ड एम)
म.प्र. परिमण्डल भोपाल

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य महाप्रबंधक की वरिष्ठ निज सहायक ।
2. परिमण्डल काउन्सिल के सभी सदस्य एवं उपस्थित अन्य अधिकारी गण
3. सभी एसएसए प्रमुख म.प्र.परिमण्डल
3. गार्ड फाईल
4. अतिरिक्त

(85)

परिमंडल काउंसिल की बैठक 25/07/2011 के कार्यवृत्त

अनुलग्नक

मुद्दा क्र.	विवरण	निर्णय
1.	**बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन, मध्य प्रदेश परिमंडल का कार्यालय बदलें। पेंडिंग आइटम–2010(24) :** ज्ञातव्य है कि बी.एस.एन.एल.यू म.प्र. परिमंडल का कार्यालय टाइप ।।–53 , पी. एन्ड टी. कॉलोनी ,भदभदा रोड, भोपाल में अलॉट किया गया है। इस स्थान से यूनियन का कार्यालय चलाने में हमें भारी असुविधा हो रही है। वर्तमान कार्यालय में सुरक्षा संबंधी असुविधाओं के अतिरिक्त हमें वहां से कहीं आने–जाने के लिए सस्ता सुलभ साधन भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए निवेदन है, कि परिमडंल यूनियन के कार्यालय के लिए बी.एस.एन.एल. भवन /एनेक्सी बिल्डिंग जीएमटीडी कार्यालय भवन न्यू–मार्केट भोपाल में एकोमोडेशन उपलब्ध कराया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जीएमटीडी कार्यालय भवन में, तीसरी मंजिल पर दो क्वार्टर यूनियन कार्यालय के लिए बहुत ही आसानी से अलॉट किए जा सकते हैं।	इस संबंध में महाप्रबंधक दूरसंचार जिला भोपाल एक माह में अन्य कोई विकल्प की जांच कर समस्या का समाधान करेंगे। **कार्यवाही– महाप्रबंधक दूरसंचार जिला भोपाल।**
2.	**फील्ड यूनिटें यूनियन की मान्यता के आदेश का पालन करें :** यह अत्यंत ही चिन्ता का विषय है कि, कुछ फील्ड यूनिटें यूनियन की मान्यता के आदेशों का पालन नहीं करती हैं। यह प्रवृत्ति, अभी कुछ ही दिनों से विशेष रूप से पनपती दिख रही है। इसलिए हम मांग करते हैं कि, कारपोरेट आफिस नई दिल्ली के आदेश क्रमांक–BSNL/5-1/SR/2010/Vol.II(i) दिनांक 14 फरवरी 2011 तथा BSNL/5-1/SR/2010/Vol.II(ii)दिनांक 14 फरवरी 2011 के आदेशों का पालन करने के लिए सभी फील्ड यूनिटों/संबंधित कार्यालयों को पुनः आदेशित करें कि वे यूनियन की मान्यता के आदेशों का पालन करें तथा तदनुसार मान्यता प्राप्त यूनियन तथा गैर मान्यता प्राप्त यूनियन/ यूनियनों के साथ व्यवहार करें।	खण्डवा ,धार ,शहडोल सहित अन्य सभी एसएसए को मान्यता प्राप्त यूनियन के मान्यता प्राप्ति संबंधी मुख्यालय के नोटिफिकेशन नॉन–इक्जिक्यूटिव कर्मचारियों की स्थानांतरण पॉलिसी के साथ पुनः प्रसारित किए जाएंगे। सभी एसएसए प्रमुखों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे सभी यूनियनों को सलाह दें कि कम्पनी के हित में, कम्पनी संबंधी नकारात्मक/कंपनी विरोधी प्रेस नोट जारी करने से बचें। मान्यता प्राप्त यूनियन को मुख्यालय के निर्देशानुसार दी गई मान्यता का पालन करने संबंधी मुद्दे पर एसएसए प्रमुखों की बैठक में भी चर्चा की जाएगी। **कार्यवाही – वरि.ष्ठ म.प्र. (मुख्यालय)** **सभी एस एस ए प्रमुख** **म.प्र.(सी.एफ.ए)** **स.म.प्र.(सं.एवंप्र.)**
3.	**जबलपुर एवं बालाघाट एसएसए में टेलीकॉम मेकैनिक के पद के लिए चयनित एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों को पद रिक्त होने की तारीख से पदोन्नति दी जावे।(पेंडिंग आइटम–2009)(3) एवं 2010 (1)) :** दिनांक 23/10/2010 को सम्पन्न परिमंडल काउन्सिल की मीटिंग में यह निर्णय हुआ था कि सन् 1997 के आदेश के संदर्भ में दिसम्बर, 2010 तक महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, जबलपुर प्रकरण को अंतिम रूप प्रदान करेंगे। किन्तु समझा जाता है कि महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, जबलपुर ने प्रकरण के समाधान के लिए कोई रूचि नहीं दिखाई है। तथा वे प्रकरण को दबाकर बैठे हुए हैं। उनके द्वारा ऐसा करने से कर्मचारियों के प्रति भारी अन्याय हो रहा है, तथा उन्हें भारी आर्थिक क्षति हो रही है। अतः हम मांग करते हैं कि, विषयांर्तगत 1997 के आदेश का परिपालन करते हुए	महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, जबलपुर इस प्रकरण का पुनरावलोकन करेंगे।ट्रेंड रेग्युलर मजदूरों से जहाँ टेलीकॉम मेकैनिक के पद उपलब्ध हैं, उस एसएसए हेतु ऑप्शन मांगे जाएगें तथा जिन्हें सेवानिवृत्त होने में कम समय बाकी है, वे उसी एसएसए में सेवानिवृत्ति ग्रहण करें। जिनके सेवाकाल के अधिक वर्ष बाकी हैं, उनके प्रकरण का पुनरावलोकन किया जाएगा। **कार्यवाही–महाप्रबंधक दूरसंचार जिला, जबलपुर**

उप मण्डल अभियंता (सं.अ.)
Sub Divisional Engineer (S R.)
म.प्र. दूरसंचार परिमण्डल,भोपाल -15
M P. Telecom Circle; Bhopal-15

	पात्र कर्मचारियों को टेलीकॉम मेकैनिक के पद पर पदोन्नति स्थिति स्पष्ट करें तथा बतावें कि उन्होंने अभी तक सन् 1997 के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया है?	
4.	**नॉन–एक्जीक्युटिव प्रमोशन पॉलिसी(एनईपीपी) को समयबद्ध सीमा के अंदर लागू किया जावे। (पेंडिंग आइटम–2010)(4) :** दिनांक 23/10/2010 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय किया गया था, कि, दिनांक 15/12/2010 तक एनईपीपी के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी जावेगी। इसके लिए सभी फील्ड यूनिटों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को समुचित आदेश दे दिए जावेंगे । किन्तु जिला प्रमुखों ने, धार, गुना अदि ने तो परिमंडल कार्यालय के आदेशों को प्रायः हमेशा की तरह, पालन करने में कोई रूचि नहीं दिखाई है। अन्य जिला प्रमुखों के द्वारा भी अपेक्षित समय सीमा में कार्यवाही नहीं की गई है। इससे कर्मचारियों में काफी असंतोष है। इसलिए हम मांग करते हैं कि सभी जिला प्रमुखों/अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि हर हालत में 30/6/2011 तक एनईपीपी के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए जावें तथा एरियर का पेमेंट किया जावे।	सिविल विंग सहित सभी एसएसए जहॉ एनईपीपी के प्रकरण प्रक्रिया में हैं को, **एनईपीपी के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश जारी करने का कार्य, दिनांक 30/09/2011 तक, पूर्ण करने के निर्देश दिए जाएंगे। APAR से संबंधित बीएसएनएल मुख्यालय के पत्र दिनांक 20/09/10 को पुनः प्रसारित किया जाएगा।** कार्यवाही– वरिष्ठ म.प्र. (मुख्यालय) म.प्र.(सी.एफ.ए) सी.ई. सिविल भोपाल सभी एस एस ए प्रमुख स.म.प्र. (प्रशासन) स.म.प्र. (एच.आर.)
5	**01.01.2007 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन रिवीजन :** संचार विभाग भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफ नं. 40.172008 पेन टी.व्ही. और एल. 3 दिनांक 15.03.2011 एवं बीएसएनएल मुख्यालय के सर्कुलर नं. 9. आदेश क्रमांक 40.06.2011 पैन (बी) दिनांक 04.04.2011 के परिपालन में 01 जनवरी, 2007 के पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई, 2011 में रिवाइज्ड पेंशन का पेमेंट होना है, तथा सितम्बर, 2011 में पेंशन एरियर पेंमेंट होना हैं। यह भी आदेशित किया गया है, कि, सभी जिला प्रमुख/अन्य कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ रहते हुए सेवा निवृत्त कर्मचारियों की रिवाइज्ड पेंशन के कागजात 30/04/2011 तक संबंधित सी सी ए को प्रेषित कर दिए जावें। किन्तु, जिला इकाइयों से ऐसी रिपोर्ट मिली है कि विषयांतर्गत कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुइ है। यह ठीक नहीं हैं। इसलिए हम मांग करते हैं, कि, विषयांतर्गत समुचित आदेश जारी किए जावें तथा ऐसे आदेशों के परिपालन के लिए समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जावे।	दिनांक 01/01/2007 के पूर्व सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को **रिवाइज्ड पेंशन/पेंशन एरियर्स पेमेंट के प्रकरणों को तैयार करके 31/08/2011 तक** सीधे DOT सेल में भेजने के लिए खण्डवा, धार, गुना एवं सिविल विंग सहित सभी एसएसए को निर्देशित किया जाएगा तथा एसएसए में कितने प्रकरण लंबित है कितने DOT सेल में भेज दिए गए हैं, इसकी प्रशासन अनुभाग द्वारा पाक्षिक (Fortnightly) मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी प्रकरणों में भुगतान की मॉनिटरिंग वित्त अनुभाग द्वारा की जाएगी, **एवं सितम्बर, 2011 तक सभी प्रकरण निपटाए जाएंगे ।** कार्यवाही– वरिष्ठ म.प्र. (मुख्यालय) सभी एसएसए प्रमुख म.प्र.(सी.एफ.ए) म.प्र. (वित्त) स.म.प्र. (प्रशासन)
6	**टूल बॉक्स के औजारों के तौर पर दिए गए तरंग(डब्ल्यू एल एल) कॉलों की संख्या में छूट दी जावे। (पैंडिंग आइटम 2010 (2)) :** दिनांक 23/10/2010 को संपन्न परिमंडल कांउन्सिल की बैठक में यह निर्णय हुआ था, कि, ऐसे कर्मचारी जिन्हें डब्ल्यू एल एल फोन उपलब्ध कराए गए हैं तथा जिनने निर्धारित कालों की संख्या से अधिक कॉल किए हैं उन्हें कर्मचारी के नियंत्रण अधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणित करने के बाद कि निर्धारित सीमा से अधिक काल बीएसएनएल की सेवाओं के हित में किए गए हैं, उन्हें बीते हुए समय से छूट की श्रेणी में शामिल करने हेतु समुचित आदेश जारी किए जावेंगे। मीटिंग में यह भी निर्णय हुआ था कि चूंकि स्टाफ को दिए गए डब्ल्यू एल एल फोनों में	पूरे म.प्र. परिमंडल में लगभग 300 ऐसे प्रकरण लंबित हैं जिनमें निर्धारित कॉल्स से अधिक कॉल्स हुए हैं। ऐसे सभी प्रकरणों में संबंधित कर्मचारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र कि निर्धारित कॉल्स से अधिक किए गए कॉल्स सेवा हित में किए गए हैं, प्राप्त किया जाएगा । निर्धारित कॉल्स से अधिक की गई कॉल्स की भी सीमा निर्धारित की जाएगी । म.प्र. परिमंडल के एसएसए प्रमुख महाप्रबंधकों द्वारा इन प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। सभी प्रकरण एक माह के भीतर निपटाए जाएंगें। वरिष्ठ महाप्रबंधक (नेटवर्क ऑपरेशन) सीएफए म.प्र. परिमंडल इन प्रकरणों की मॉनीटरिंग करेंगे। कार्यवाही – वरिष्ठ म.प्र. (मुख्यालय)

	बीएसएनएल के मोबाइल फोनों को कॉल करने 94 की सुविधा नही है, तथा किसी भी अधिकारी से प्रायः लैंड लाइन पर संपर्क नहीं हो पाता है, इसलिए डब्ल्यू एल एल के स्थान पर प्लान 325 पोस्ट पैड सिम दी जावेगी। संबंधित कर्मचारी इन्स्ट्रूमेंट स्वयं क्रय करेगा। ए.पी. आदि परिमंडल में यह व्यवस्था लागू हो गई है। **किन्तु विशेष रूप से वरिष्ठ महाप्रबंधक (प्रचालन) के द्वारा विषयांतर्गत विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के बाद इस महत्वपूर्ण फैसले को ठंडे बस्ते का रास्ता दिखा दिया गया है। इससे कर्मचारियों का मनोबल गिरा है तथा बीएसएनएल की सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।** इसलिए हम मांग करते हैं, कि, कम्पनी की सेवाओं के तंत्र के समुचित रख–रखाव के लिए दिनांक 23/10/2010 की मीटिंग के निर्णय को प्रभावशील बनाया जावे।	वरिष्ठ म.प्र. (नेट.ऑप.) सीएफए सभी म.प्र.दू.जिला म.प्र.(सी.एफ.ए)
7	**नॉन रिक्रूटिंग यूनिटों में काम करने वाले कर्मचारियों के नियम–8 के अंर्तगत उसी एसएसए में पद सहित स्थानांतण किए जावें जहॉ वे काम कर रहे हैं। पेंडिग आइटम 2003 (22) 2009(4) एवं 2010 (9) :** यह प्रकरण सन् 2003 की काउंसिल मीटिंग में सेटिल्ड आइटम है। इसी प्रकार अन्य पिछली मीटिंगों में भी फैसलों को प्रभावी बनाने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। किन्तु, अभी तक स्थानांतरण आदेश जारी नही हुए हैं। इस प्रकार अनापेक्षित एवं अत्यंत विलम्ब के कारण नॉन रिक्रूटिंग यूनिटों में काम करने वाले कर्मचारियो में गहरा असंतोष व्यापत हो गया है। इसलिए हम मांग करते है कि एक निश्चित समय सीमा में इस प्रकरण का समाधन किया जावे।	इस संबंध में बालाघाट, शाजापुर, सहित सभी एसएसए के सभी इच्छुक कर्मचारियों से 60 दिन के भीतर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, एवं आगे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । **कार्यवाही– स.म.प्र. (प्रशासन)**
8	**जीएमटीडी जबलपुर के अंतर्गत कटनी घोटालों की निष्पक्ष जांच करायी जावे तथा न्याय संगत कार्यवाही की जावे। (पेंडिग आइटम 2010(5)) जीएमटीडी जबलपुर के अधीनस्थ कटनी टेलीफोन एक्सचेन्ज में टी.सी. नं. 53146, 57426, 57418, 52497, 52175, 55994 एवं 548898 के द्वारा बीएसएनएल को हुई क्षति रू.659511/–की जांच परिमंडल विजीलेंस के द्वारा पुनः करायी जावे।** स्टाफ पक्ष का यह मत है, कि, विषयांतर्गत परिमंडल विजीलेंस निष्पक्ष जांच कर तर्क संगत निष्कर्ष तक पहुंचने में पूरी तरह असफल रहा है जिससे दोषियों को बच निकलने के लिए पर्याप्त रास्ते उपलब्ध हुए हैं।उल्लेखनीय है कि जीएमटीडी जबलपुर के अंतर्गत कटनी (रेवेन्यू जिला) एक बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। पूरे परिमंडल में प्रायः सबसे अधिक रेवेन्यू कमाने वाला केन्द्र रहा है। किन्तु, आज यह एक के बाद अनेक घोटालों में लिप्त होकर प्रायः सबसे कम रेवेन्यू देने वाला केन्द्र हो गया है। इस विषय में हमारा आरोप रहा है कि, बीएसएनएल के कर्मचारियों/अधिकारियों की एयरटेल के साथ मिलिभगत के कारण यह स्थिति बनी है। इस विषय में हमने अनेकों पत्र भी अधिकारियों को लिखे हैं, किन्तु परिणाम प्रायः शून्य ही रहा है। यह एक बहुत ही गंभीर एवं चिन्ताजनक स्थिति है। स्टाफ पक्ष का दृढ़ मत है, कि, कटनी को पुनः वापिस प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते कि निर्भीक एवं निष्पक्ष कार्यवाही की जावे। विषयांतर्गत यह भी ध्यान में लाया जा रहा है, कि, एक गैर संबंधित छोटे कर्मचारी को बली का बकरा बना कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार कटनी के ही अधीनस्थ बहुचर्चित बरही घोटाले (लगभग 50 लाख रूपये) को रफा दफा कर दिया गया है।	प्रकरण में अलग से चर्चा होगी।

उप मण्डल अभियंता (एस० आर०)
Sub Divisional Engineer (S R.)
म०प्र० दूरसंचार परिमण्डल, भोपाल -15
M.P. Telecom Circle; Bhopal-15

	अतः हम मांग करते हैं, कि, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घोटालों में लिप्त कर्मचारियों/अधिकारियों को तुरन्त कटनी जिले से बाहर स्थानांतरण किया जावे तथा निष्पक्ष जांच कराई जावे। दोषियों को दंड भी दिया जावे। यदि ऐसा हो सकेगा तो, कटनी से ही करोड़ों रूपये साल की रेवेन्यू में वृद्वि को सम्भव बनाया जा सकेगा।	
9	**स्टाफ को मिलने वाले विभिन्न आईटमों के विषय में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करावें तथा वितरण का तरीका बदलें :** उल्लेखनीय है, कि, फील्ड स्टाफ/टेक्नीकल स्टाफ को गर्म–वर्दी, सामान्य वर्दी, जर्सी, बरसाती, टूल–बैग, जूते, वाटर–बॅाटल, साबुन आदि देने की व्यवस्था है। इनमें से टूल– बैग, वाटर–बॅाटल, जूते, मोजे, साबुन आदि की दरें परिमंडल कार्यालय के स्तर पर तय की जाती हैं, जबकि वर्दी, बरसाती, गर्म–जर्सी आदि की दरें केन्द्रीय मुख्यालय तय करता है। केन्द्रीय मुख्यालय के स्तर से तय होने वाले आइटमों की दरों में विगत 20 सालों से भी अधिक समय से पुनः निर्धारण नहीं हुआ है। इन आइटमों को प्राप्त करने के लिए अपनाया जा रहा तरीका भी अवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक है । इसलिए सालों–साल एक के बाद दूसरे आइटम को प्राप्त करने के लिए ही उलझे रहना पड़ता है। क्या ड्यू है, और क्या मिल चुका है, यह स्थिति भी प्रायः स्पष्ट नही हो पाती है। **अतः निवेदन है कि:–** 1.कृपया जानकारी प्रदान करें कि, विभिन्न आइटमों को प्राप्त करने की समयावधि क्या है ? 2.वर्तमान में कितने आइटम देना ड्यू हैं तथा विषयांतर्गत क्या कार्यवाही की गई है ? हम यह भी निवेदन करते हैं कि, इन आइटमों को देने के लिए प्रशासन एवं यूनियन का काफी समय बर्बाद होता है जबकी कर्मचारी भी प्राप्त होने वाले आइटमों से या तो संतुष्ट नहीं होते या फिर उन्हें वे आइटम मिल ही नहीं पाते। इसलिए हम मांग करते हैं कि, निर्धारित दरों के आधार पर विभिन्न आइटमों की नगद राशी कर्मचारी को दे दी जावे। यदि यह संभव नहीं है तो, एसएसए प्रमुख/अन्य संबंधित कार्यालय प्रमुख को अधिकार दिया जावे कि, वे स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों को सम्मलित करके बनायी जाने वाली कमेटी के माध्यम से इन आइटमों को एसएसए/अन्य संबंधित कार्यालय के स्तर पर स्थानीय बाजार से ही क्रय करके पात्र कर्मचारियों को उपलब्ध करावें।	प्रबधन ने स्टाफ पक्ष को निम्नलिखित प्रस्ताव दिया : कर्मचारियों को मिलने वाले सभी आइटमों की निर्धारित दरों पर नगद राशि का भुगतान , कर्मचारी द्वारा संबंधित आइटम खरीदी बिल कार्यालय में जमा करने के पश्चात किया जाएगा। यह व्यवस्था सिर्फ एक वर्ष के लिए लागू होगी। स्टाफ पक्ष को यह प्रस्ताव मान्य नहीं है।
10	**बीएसएनएल की सेवाओं एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए जरुरी सामान जैसे ड्रॅाप वायर, इन्स्ट्रुमेंट्स मॅाडम, केबिल की उपलब्धता आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करावें। कव्हरेज बढ़ाने के लिए भी बीटीएस मेन्टेन करावें/लगावें।** जैसे कि आपको विदित है कि, कम्पनी के कर्मचारियों और अधिकारियों की यूनियनों/ एसोसिएशनों ने जून, 2011 को कस्टमर डिलाइट माह के रूप में मनाने का कार्यक्रम लिया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैनेजमेंट ने भी अपनी सहमति जताई है। अतः निवेदन है कि सेवाओं तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक सामान /उपकरण उपलब्ध कराने के लिए हर सम्भव प्रयास करें।	ड्रॅाप वायर की आवश्यकता एवं सप्लाई का पुनरावलोकन किया जाएगा। परिमण्डल काउन्सिल के स्टाफ पक्ष के सभी सदस्यों को Value Added Services के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। **कार्यवाही–वरिष्ठ म.प्र.(नेट. प्लानिंग)सीएफए** **वरिष्ठ म.प्र. (सी.एम.)**

उप मण्डल अभियन्ता (वि.प्र.आर.)
Sub Divisional Engineer (S R.)
म.प्र. दूरसंचार परिमण्डल,भोपाल -15
M P. Telecom Circle; Bhopal-15

<table>
<tr><td>11</td><td>नियम 8 के अंतर्गत कर्मचारियों के एक एसएसए से दूसरे एसएसए तथा परिमंडल से दूसरे परिमंडल में स्थानांतरण के प्रकरणों को सहानुभूति पूर्वक विचार कर स्थानांतरण आदेश जारी किए जावें।</td><td>पूर्व में बड़ी संख्या में स्थानान्तर आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासकीय कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए संबंधित मण्डलों की स्थिति, कार्यरत एवं स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण आदेश जारी किए जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में नियम–8 के अंतगर्त किए गए स्थानांतरण निम्नानुसार हैं :–
<table>
<tr><th colspan="8">Rule-8 Transfer from April,2007 to July,2011</th></tr>
<tr><th>S. No.</th><th>Name Of Cadre</th><th>2007-08</th><th>2008-09</th><th>2009-10</th><th>2010-11</th><th>2011-July,11</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sr.TOA(G)</td><td>5</td><td>1</td><td>26</td><td>17</td><td>6</td><td>55</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sr.TOA(P)</td><td>0</td><td>5</td><td>4</td><td>12</td><td>3</td><td>24</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sr.TOA(TL)</td><td>1</td><td>4</td><td>7</td><td>3</td><td>3</td><td>18</td></tr>
<tr><td>4</td><td>TTA</td><td>5</td><td>1</td><td>18</td><td>5</td><td>9</td><td>38</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Telecom Mechanic</td><td>44</td><td>26</td><td>6</td><td>37</td><td>6</td><td>119</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Motor Driver</td><td>1</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>12</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Regular Mazdoor</td><td>0</td><td>11</td><td>4</td><td>21</td><td>3</td><td>39</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>56</td><td>57</td><td>66</td><td>96</td><td>30</td><td>305</td></tr>
</table>
उपर्युक्त टिप्पणी से स्टाफ पक्ष सहमत है। नियम–8 के अन्तर्गत प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
कार्यवाही–स.म.प्र.(प्रशासन)</td></tr>
<tr><td>12</td><td>पेंडिंग चिकित्सा बिलों का भुगतान :
कृपया जानकारी उपलब्ध करावें :–
क.–परिमंडल कार्यालय में कुल कितने चिकित्सा बिल पेमेंट के लिए पेंडिंग हैं तथा इन बिलों की राशी लगभग कितने रूपयों की है। 60 दिनों से अधिक की समयावधि से यदि मेडिकल बिल पेंडिंग हैं, तो कृपया बतावें की क्यों पेडिंग हैं ?
ख.–पेंडिंग बिलों का पूर्व फैसले के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र पेमेंट किया जावे।
ग.–सरसरी तौर पर देखकर रिजेक्ट किए गए चिकित्सा बिलों का पुनः निरीक्षण करने के बाद स्थिति से अवगत कराया जावे तथा नियमानुसार उनका पेमेंट किया जावे।</td><td>प्रकरण का पुनरावलोकन किया जाएगा। सभी मेडिकल बिल्स निर्धारित प्रपत्र में ही इस कार्यालय भेजे जाएं सभी एसएसए को पुनः ऐसे निर्देश दिए जाएगें। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिकल बिल्स प्राथमिकता से निपटाए जाएंगे। पेंडिंग मेडिकल बिलों के संबंध में सचिव परिमंडल काउंसिल म.प्र.(वित्त) के साथ अलग से चर्चा करेंगे।
कार्यवाही– वरिष्ठ म.प्र. (मुख्यालय)
सभी एसएसए प्रमुख
म.प्र.(सी.एफ.ए)
म.प्र.(वित्त)
स.म.प्र. (प्रशासन)</td></tr>
<tr><td>13</td><td>अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण :
यह अत्यंत ही खेद का विषय है, कि, जून 2002 के बाद म.प्र. परिमंडल में कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि अन्य परिमंडलों में
नियुक्तियां होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि:–</td><td>इस संबंध में बीएसएनएल मुख्यालय को स्मरण–पत्र प्रेषित किया जाएगा।
कार्यवाही–स.म.प्र. (एच.आर.)</td></tr>
</table>

	क.–वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति के कुल कितने प्रकरण परिमंडल कार्यालय में विचाराधीन हैं ? ख.–पेंडिंग प्रकरणों में से ग्रेडिंग के बाद कुल कितने आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए पात्रता प्राप्त हुई है ? ग.– अनुकम्पा नियुक्ति के कितने पात्र प्रकरण कारपोरेट आफिस नई दिल्ली को प्रेषित किए गए हैं ? घ.–क्या पात्र आवेदनों पर आगामी 60 दिनों के अंदर अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश किए जा सकते हैं यदि हॉ तो कितने, और नहीं, तो क्यों ? कृपया जानकारी प्रदान करें ।	
14	**सीडीए वेतनमान से आईडीए वेतनमान में स्विच ओवर करने पर पैदा हुई वेतन विसंगति दूर करने के लिए कार्यवाही की जावे। पेंडिंग प्रकरण–2010 (6):** कृपया वर्तमान स्थिति से अवगत करावें विषयांतर्गत यदि आवश्यक हुआ तो चर्चा की जावेगी।	भोपाल एवं इंदौर में प्रकरण प्रक्रिया में हैं। परिमंडल कार्यालय सहित अन्य किसी एसएसए में ऐसा कोई प्रकरण लंबित नहीं है। उपर्युक्त टिप्पणी से स्टाफ पक्ष सहमत है। प्रकरण समाप्त किया जा सकता है।
15	**वेज रिवीजन में आई वेतन विसंगति दूर की जावे पेंडिंग आइटम–2010(7) :** कृपया वर्तमान स्थिति से अवगत करावें। यदि आवश्यक हुआ तो चर्चा की जावेगी।	उज्जैन, इंदौर, बैतूल, छतरपुर, भोपाल, रतलाम में प्रकरण प्रक्रिया में हैं। परिमंडल कार्यालय सहित अन्य किसी एसएसए में ऐसा कोई प्रकरण लंबित नहीं है। उपर्युक्त टिप्पणी से स्टाफ पक्ष सहमत है। प्रकरण समाप्त किया जा सकता है।
16	**टीटीए की एलडीसीई परीक्षा में 10% पदों का निर्णय :–पेंडिंग आईटम 2006 (31), 2009 (13), तथा 2010 (12) :** 23 अक्टूबर, 2010 को संपन्न परिमंडल काउिन्सल की मीटिंग में यह निर्णय हुआ था कि कारपोरेट आफिस नई दिल्ली को स्मरण पत्र लिखा जावेगा तथा उस पत्र की प्रति स्टाफ पक्ष को प्रेषित की जावेगी। किन्तु आज दिनांक तक, समझा जाता है कि, विषयांतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि, इस बहुत लम्बे समय से पेंडिंग प्रकरण का निष्पादन किया जावे।	इस विषय में जनरल सेक्रेटरी बीएसएनएलईयू नई दिल्ली का पत्र भी प्राप्त हुआ था एवं जांच कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। मंदसौर में कोई पद उपलब्ध नहीं है। स्टाफ पक्ष ने इस प्रकरण को समाप्त कर दिया।
17	**आईडीए वेतनमान के एरियर्स की राशी, जो सितम्बर, 2002 में कर्मचारियों ने अपने जीपीएफ में जमा कराई थी, उस पर नियमानुसार ब्याज दिया जावे (पेंडिंग आईटम 2006 (23) एवं 2010(11)) :** 23 अक्टूबर, 2010 की मीटिंग में यह जानकारी दी गई थी की प्रकरण कारपोरेट आफिस नई दिल्ली में विचाराधीन है। यह निर्णय हुआ था कि विषयांतर्गत पुनः रिमाइन्डर भेजा जावेगा जिसकी प्रति सचिव, परिमंडल काउंसिल को प्रेषित की जावेगी। किन्तु रिमाइन्डर की प्रति आज तक अप्राप्त है।	इस प्रकरण में स्टाफ पक्ष का मत व्यक्त करते हुए बीएसएनएल मुख्यालय को पुनः स्मरण –पत्र भेजा जाएगा । **कार्यवाही–म.प्र.(वित्त)**
18	**सेन्सिटिव पदों पर पदस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों का नियमानुसार स्थानांतरण किया जावे। (पेंडिंग आईटम 2007 (58) 2009 (16) एवं 2010(14):** विषयांतर्गत निर्णय के अनुसार कार्यवाही न करने के लिए क्या कारण है, बताया जावे। निवेदन है, कि विषयांतर्गत तुरन्त कार्यवाही करें । इससे कुछ हद तक रेवेन्यू का लीकेज रुकेगा।	सभी एसएसए को पुनः स्मरण–पत्र जारी किया जाएगा । **कार्यवाही–स.म.प्र.(प्रशासन)**

उप मण्डल अभियंता (भी.आर.)
Sub Divisional Engineer (S.R.)
म.प्र. दूरसंचार परिमंडल भोपाल -15
M.P. Telecom Circle; Bhopal-15

Sub ... (S R.)
M P. Telecom Circle; Bhopal-15

19	**ऐनेक्सी बिल्डिंग को खाली करावें या नियमानुसार किराया लें –(पेंडिंग आईटम 2007 (76) , 2009 (19) एवं 2010(1) :** निवेदन है कि विषयांतर्गत प्रशासन अपना स्पष्ट दृष्टिकोण बताए। इस प्रकार बिना किसी अनुबंध एवं किराया के तीसरे पक्ष को अपना भवन सौंप देना गलत है। कृपया तुरन्त नियमानुसार उचित कार्यवाही करें।	पी एण्ड टी आडिट कार्यालय से एनेक्सी भवन रिक्त कराने हेतु पी एण्ड टी आडिट कार्यालय को पत्र लिखा जा चुका है , एवं उचित कार्यवाही की जा रही है। उपर्युक्त टिप्पणी से स्टाफ पक्ष सहमत है। इस प्रकरण में पुनः स्मरण पत्र जारी किया जाएगा। **कार्यवाही–स.म.प्र.(सं.एवंप्र.)**
20	**पेंशन प्रकरणों का समय पर सेटिलमेंट हाने के लिए उचित मॉनीटरिंग की जावे । (पेंडिंग आईटम 2008 (1) , 2009 (20)एवं 2010(17):** विषयांतर्गत यह निणर्य हुआ था कि परिमंडल सीसीए के साथ लाइसनिंग करने के लिए लेखा अनुभाग से एक अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी तथा फील्ड यूनिटों को उचित निर्देश दिए जावेंगे। कृपया लाइसनिंग अधिकारी के विषय में जानकारी देवें। यह भी निवेदन है, कि , कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि पेंशन के संबंध में फील्ड अधिकारी, परिमंडल कार्यालय के आदेशों का गंभीरता पूर्वक पालन करें। विषयांतर्गत हम यह भी निवेदन करते हैं, कि सेवानिवृत कर्मचारियों/अधि–कारियों के विषय में प्रत्येक फील्ड यूनिट लाइसनिंग अधिकारी के विवरण के साथ मासिक स्टेटमेंट भेजें।	समय पर पेंशन प्रकारणों के निपटाए जाने के संबंध में समय–समय पर सभी एसएसए प्रमुखों/इकाईयों को निर्देश दिए गए हैं, कि, सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन प्रकरण उनके सेवा निवृत्त होने के छः माह पूर्व पूर्ण किये जा कर कार्यालय–नियंत्रक दूरसंचार लेखा, म.प्र. परिमंडल दूरसंचार भवन होशंगाबाद रोड भोपाल को प्रेषित किये जावें, जिससे पेंशन प्रकरणों का समय पर सेटिलमेंट किया जा सके। बीएसएनएल मुख्यालय नई दिल्ली एवं नियंत्रक दूरसंचार लेखा, म. प्र. परिमंडल भोपाल के कार्यालय द्वारा लंबित पेंशन प्रकरणों की सूची को भी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एसटी–एसएस/पेंशन अदालत/2011/चेप्टर–v/11 दिनांक 29/04/2011 एवं क्रमांक एसटी–एसएस/पेंशनअदलत/ 2011/ चेप्टर–v/17 दिनांक 07/05/2011 द्वारा संबंधित एसएसए प्रमुखों को, पेंशन प्रकरणों को शीघ्र निपटाने हेतु निर्देशित किया गया है। परिमण्डल कार्यालय के पेंशन प्रकरण समय से डीओटी सेल में भेजे जाते हैं तथा किसी भी पेंशन प्रकरण के निपटान में देरी की शिकायत नामित समिती को प्राप्त नहीं हुई है।
21	**वर्क्स कमेटियों के कामकाज की मॉनीटरिंग की जावे।(पेंडिंग आईटम 2009(21) ,एवं 2010(18) :** यह अत्यंत ही खेद का विषय है कि , फील्ड यूनिटों ने वर्क्स कमेटियों को प्रायः कागजों तक ही सीमित कर रखा है। ऐसा करना वास्तविक रूप से बीएसएनएल की सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना, सेवाओं का सही रखरखाव करना तथा रेवेन्यु में वृद्धि करना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी ही करना है। अतः हम निवेदन करते हैं कि वर्क्स कमेटियों को सक्रिय बनाया जावे तथा परिमंडल कार्यालय अनिवार्य मॉनीटरिंग करे।	एसएसए प्रमुखों की आगामी मीटिंग में वर्क्स कमेटियों की सक्रियता बनाए रखने के संबंध में चर्चा की जाएगी। **कार्यवाही– वरिष्ठ म.प्र. (मुख्यालय) सभी एसएसए प्रमुख म.प्र.(सी.एफ.ए)**
22	**हाउस बिल्डिंग एडवांस चुकता हो गए प्रकरणों में मूल दस्तावेज संबंधितों को वापिस किए जावें। (पेंडिंग आईटम 2008(4), 2009(22)एवं 2010(19) :** कृपया विषयांतर्गत वर्तमान स्थिति से अवगत करावें।	**सभी संबंधित एसएसए को 16/08/2011 तक** हाउस बिल्डिंग एडवांस के दस्तावेज इस कार्यालय से वापस प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किया जाएगा। **कार्यवाही–स.म.प्र.(प्रशासन)**
23	**सीजीईजीआईएस वापिसी के प्रकरण (पेंडिंग आईटम 2008 (9) , 2009 (24)एवं 2010(20):** कृपया विषयांतर्गत वर्तमान स्थिति से अवगत करावें।	सीजीईजीआईएस वापसी के सभी प्रकरणों में शीध्र भुगतान हेतु सीसीए भोपाल को पत्र लिखा जाएगा। **कार्यवाही–स.म.प्र.(प्रशासन)**
24	**सागर एसएसए के पेंडिंग प्रकरण। (पेंडिंग आईटम–2009 (31) , एवं 2010(21):** 1.श्रीमती सुषमा घूसिया का प्रकरण। 2. श्रीमती गीता सैनी का प्रकरण । 3.श्रीमती वैजन्ती ठाकुर का प्रकरण। कृपया दिनांक 23/10/2010 को सम्पन्न मीटिंग	1. **श्रीमती सुषमा धूसिया प्रकरण**– श्रीमती सुषमा धूसिया के प्रकरण का निराकरण उनकी संतुष्टि के अनुसार कर दिया गया है। तथा उन्हें सीनियर टीओए में पदोन्नति दे दी गई है एवं एरियर का भुगतान भी कर दिया गया है। प्रकरण समाप्त किया जाता है।

	के कार्यवृत्त से विवरण के आधार पर वर्तमान स्थिति से अवगत करावें।	2. **श्रीमती गीता सैनी प्रकरण**– श्रीमती गीता सैनी आर.एम. का प्रकरण परिमण्डल कार्यालय भोपाल की विजिलेंस सेल द्वारा पत्र क्रमांक–MP/VC Executive/Corporate/2008/Ch.III/50 दिनांक 18/02/2009 के माध्यम से क्लीयरेंस हेतु दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली को भेजा गया है। प्रकरण समाप्त किया जाता है। (3) श्रीमती वैजयन्ती ठाकुर के प्रकरण के निरस्तीकरण पत्र की प्रतिलिपि स्टाफ पक्ष को दी जाएगी। **कार्यवाही–स.म.प्र.(प्रशासन)**
25	**ग्रेडेशन लिस्ट तैयार करना (पेंडिंग आईटम 2009(34) , एवं 2010(22) :** कृपया वर्तमान स्थिति से अवगत करावें। यह भी निवेदन है, कि, जिन फील्ड यूनिटों एवं अन्य संबंधित कार्यालयों ने अभी तक कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट तैयार नहीं की है उन्हें समय सीमा में ग्रेडेशन लिस्ट तैयार करने के लिए आदेशित किया जावे।	सभी एसएसए की **ग्रेडेशन लिस्ट बनाने का कार्य 31 अक्टूबर 2011 तक संपन्न करने**, एवं तैयार ग्रेडेशन लिस्ट की दो प्रतिलिपियॉ इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु सभी एसएसए को पत्र जारी किया जाएगा , तथा प्राप्त प्रतिलिपियॉं में से एक यूनियन को दी जाएगी। **कार्यवाही–स.म.प्र.(प्रशासन)**
26	**संचार विभाग/संचार सेवा विभाग के अंतर्गत रीजनल काउन्सिल (सर्किल काउन्सिल) के लिए अलॉट किया गया कार्यालय मैनेजमेंट बीएसएनएल के कब्जे में ले। (पेंडिंग आईटम 2005(5) ,** मेनेजमेंट की वास्तविक मंशा क्या है, और क्यों है, कृपया स्पष्ट करें।	आर जे सी एम को आवंटित कार्यालय खाली करवाया जाएगा। **कार्यवाही–स.म.प्र.(सं. एवं प्र.)**

उप मण्डल ... (स.र.)
Sub Divi... (S R.)
म.प्र. दूरसंचार ... भोपाल -15
M P Telecom Circle; Bhopal-15

10/08/11